



इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014
(लाईसेन्स आधारित प्रणाली)

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
मार्च, 2014

मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उठप्रो आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

लखनऊ : दिनांक ४ मार्च, 2014

विषय:- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासनादेश संख्या: 2711/आठ-१-०५-३४विविध/०३, दिनांक 21.05.2005 द्वारा भूमि अर्जन एवं विकास (इण्टीग्रेटेड टाउनशिप) की नीति जारी की गयी थी। उक्त नीति के अन्तर्गत लाइसेंस आधारित प्रणाली के निर्धारण एवं उसमें स्पष्टीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय—समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये।

२— इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के निश्चयण के उद्देश्य से इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति संबंधी पूर्ण निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए संलग्न पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) निर्धारित की जाती है।

३— यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

४— अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) में प्राविधिक व्यवस्थानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) के क्रियान्वयन हेतु नीति में उल्लिखित प्रारूप यथा—कन्सॉर्सियम से संबंधित एम०ओ००२०, लाइसेंस आवेदन हेतु प्रपत्र, लाइसेंस निगर्मन हेतु प्रपत्र, विकास अनुबन्ध (डी०ए०) से संबंधित प्रपत्र आदि तथा नगरीय विकास शुल्क की दरों संबंधी नियम पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,


..... ५/२०१५.
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
10. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(स्नीरनाथ यादव)
अनु सचिव

1. उददेश्य एवं आवश्यकता

1.1 शहरों के नियोजित एवं सुस्थिर विकास के लिए आवास एवं उससे सम्बद्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अपरिहार्य है। सरकार का यह सामाजिक दायित्व है कि यह ऐसी परिस्थितियों का सृजन करे जिससे समाज के प्रत्येक परिवार को उसकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा मुहैया हो सके। उल्लेखरीय है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं नायम आय वर्गों हेतु अफोडेंशल हाउसिंग की मांग सबसे अधिक है, जिसे सरकार के सीमित संसाधनों से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है, अतः राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीतियों में निर्धारित रणनीति के अनुरूप इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति का मुख्य उददेश्य निजी पूँजी निवेश के माध्यम से भुवियाजित नगरीय विकास को प्रोत्ताहित करना है, ताकि जन-सामान्य को उद्दित मूल्य पर आवास मुहैया हो सके और निवेशकर्ताओं को विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु एक अनुकूल बातायरण उपलब्ध हो सके।

1.2 तत्काल में शासनादेश संख्या: 2711/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 21.05.2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के नायम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) की नीति जारी की गयी थी। उक्त नीति के अन्तर्गत लाईसेन्स आधारित प्रणाली के निर्धारण एवं उसमें स्पष्टीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निम्न शासनादेश जारी किए गए हैं—

- (I) शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 29.12.2005
- (II) शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 12.01.2006
- (III) शासनादेश संख्या: 6168/आठ-1-06-53विविध/06, दिनांक 22.08.2006
- (IV) शासनादेश संख्या: 2236/आठ-1-06-45विविध/06, दिनांक 28.04.2006
- (V) शासनादेश संख्या: 6710/आठ-1-06-77विविध/06, दिनांक 10.10.2006
- (VI) शासनादेश संख्या: 1859/आठ-1-07-33विविध/06, दिनांक 27.08.2008
- (VII) शासनादेश संख्या: 5397(2)/8-3-08-33विविध/03, दिनांक 02.12.2008

लाईसेन्स प्राप्ती में संशोधन के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के कलिप्य प्राविधान स्पष्ट नहीं हैं तथा शासनादेश दिनांक 27.8.2008 जारी होने के उपरान्त कई बार ग्रामकर्कियति उत्पन्न हो जाती है और यह निर्धारण लेने में कठिनाई हो रही है कि गिन्न-मिन्न तिथियों में पंचीकृत अथवा लाईसेन्सधारक विकासकर्ताओं के प्रकरणों में कौन से शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 27.8.2008 के अधीन विकासकर्ताओं के चयन हेतु 'प्रतिस्पर्धात्मक नियिदा प्रक्रिया' लागू कर दिए जाने के कारण इस नीति का क्रियान्वयन अवरुद्ध हो गया है। अतः इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के निराकरण हेतु उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत लाईसेन्स प्रणाली से सम्बन्धित प्राविधानों को अतिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित नीति निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

2. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य

2.1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य एक 'सेल्फ-कार्टेन्ड' रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

hml

2.2 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए मुख्य मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति एवं ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। अतः इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास सामान्यतः महाराजनांगों के शहीदीकरण क्षेत्र तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे 'अर्द्धन भास' द्वान्जिट कॉर्सोडोर्स' के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों जहाँ विकास के नए 'ग्रोथ सेन्टर्स' प्रकट हो रहे हैं और रीजनल स्टार की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं, मैं प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. विकासकर्ताओं के लिए अहंताएं

3.1 इस नीति के अधीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए निजी विकासकर्ता पात्र होंगे। निजी विकासकर्ता का लात्पर्य किसी व्यक्ति, कम्पनी या संघ (एसोसिएशन), व्यक्तियों के निकाय चाहे नियमित हो या न हो, से है जिसके पास विकास के लिए भूमि है या जुटाव किया हो या क्या या अन्यथा द्वारा भूमि रखने या जुटाव करने के लिए सहमत हो और जो इस नीति के अधीन लाइसेंस के लिए अहं हों।

3.2 निजी विकासकर्ताओं द्वारा कन्सॉर्टियम बनाया जा सकेगा, जिसके सदस्यों की अधिकतम सीमा पर प्रतिवन्ध नहीं होगा, परन्तु कन्सॉर्टियम का 'लीड मेम्बर' केवल कम्पनी होगी। कन्सॉर्टियम के समस्त सहभागी सदस्यों के मध्य निर्धारित प्रपत्र (जो अलग से जारी किया जाएगा) पर एम.ओ.यू. का निवादन अनिवार्य होगा, जो सम्बन्धित जनपद के सव-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। कन्सॉर्टियम एम.ओ.यू. में कन्सॉर्टियम के कुल औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ के सापेक्ष विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत टर्नओवर एवं नेटवर्थ का अलग-अलग उल्लेख किया जायेगा। कन्सॉर्टियम एम.ओ.यू. में उपायक्ष/आवास आवृत्त की अनुमति के लिए परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।

3.3 कन्सॉर्टियम में विभिन्न सदस्यों की शेयरहोल्डिंग किसी भी अनुपात में हो सकती है, जिसका उनके औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ से कोई सम्बन्ध (लिन्केज) नहीं होगा, किन्तु कन्सॉर्टियम के कुल वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बन्धी अहंताओं में न्यूनतम 26 प्रतिशत अहंता अकेले लीड मेम्बर द्वारा पूर्ण करना अनिवार्य है तथा लीड मेम्बर की शेयरहोल्डिंग न्यूनतम 26 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

उदाहरण:

यदि किसी कन्सॉर्टियम द्वारा 300 एकड़ क्षेत्रफल के लाईसेंस हेतु आवेदन किया जाता है, तो वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बन्धी अहंता निम्नवत् होगी:-

• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 150 करोड़
• नेटवर्थ (औसत वार्षिक टर्नओवर का 20 प्रतिशत)	रु. 30 करोड़
• लीड मेम्बर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (रु. 150 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 39 करोड़
• लीड मेम्बर की न्यूनतम नेटवर्थ (रु. 30 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 7.80 करोड़
• कन्सॉर्टियम में लीड मेम्बर की न्यूनतम शेयरहोल्डिंग	26 प्रतिशत

शेष औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ की पूर्ति किसी भी सदस्य (लीड मेम्बर सहित) द्वारा की जा सकती है, किन्तु उसका स्पष्ट उल्लेख कन्सॉर्टियम एम.ओ.यू. में होना चाहिए।

W.M.

3.4 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम का टर्नओवर किसी भी सेवटर/व्यवसाय का हो सकता है, परन्तु गत वर्ष में नेटवर्ड पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम 20 प्रतिशत होनी चाहिए। टर्नओवर एवं नेटवर्ड की पुष्टि हेतु गत 3 वर्षों की आडिटिड वैलेन्स शीट एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम के गत तीन वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए प्रत्येक रु. 50 लाख टर्नओवर के सापेक्ष एक एकड़ लाईसेन्स क्षेत्रफल अनुमन्य होगा, किन्तु नेटवर्थ औसत वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा लाईसेन्स एरिया 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम 500 एकड़ हो सकता है।

उदाहरण-1

• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्ड	रु. 10.00 करोड़
• अनुमन्य लाईसेन्स एरिया	44 एकड़

उदाहरण-2

• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्ड	रु. 2.00 करोड़
• अनुमन्य लाईसेन्स एरिया	शून्य

उदाहरण-3

• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्ड	रु. 4.00 करोड़
• अनुमन्य लाईसेन्स एरिया	40 एकड़

3.6 कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त 'लीड मेम्बर' के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में उपायक्ष/आवास आयुक्त द्वारा उसी दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा, जिससे मूल कन्सॉर्शियम की न्यूनतम अपेक्षित वित्तीय क्षमता पर ऋणात्मक प्रमाण न पढ़े। लीड मेम्बर में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जा सकती कि योजनानार्त्तगत प्रधाम डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के अधीन समस्त विकास कार्य, ई-डब्ल्यूएस, एवं एलआई-जी, भवनों का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास/निर्माण कार्य और योजनानार्त्तगत स्थित ग्रामीण आवादियों में अवस्थापाना सुविधाओं का विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। कन्सॉर्शियम के सदस्यों में परिवर्तन की स्थिति में कन्सॉर्शियम का संशोधित एमओयू प्रस्तुत करना होगा, जिसके समन्वय में प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा अपनी सहमति/असहमति एक माह के अन्दर आवेदक को सूचित की जाएगी।

3.7 कोई भी कम्पनी कितने भी कन्सॉर्शियम का सदस्य हो सकती है, परन्तु एक से अधिक कन्सॉर्शियम में सदस्य होने की स्थिति में कम्पनी को इस आशय का शाश्वत-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सभी कन्सॉर्शियम में सम्मिलित कम्पनी की वित्तीय क्षमता का बयुम्लैटिंग योग उसकी मूल वित्तीय क्षमता से अधिक नहीं है तथा उक्त शाश्वत-पत्र कभी भी असत्य पाए जाने पर कन्सॉर्शियम का लाईसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा। शाश्वत-पत्र में

लग्जी

कम्पनी द्वारा प्रत्येक कन्सॉर्टियम में कम्पनी के आगणित टर्नओवर एवं नेटवर्थ का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4. लाईसेन्स हेतु आवेदन एवं निर्गमन की प्रक्रिया

4.1 लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल की 25 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व (जिस्टर्ड सेल डॉड) विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम के किसी भी सदस्य के पक्ष होना चाहिए। यदि कन्सॉर्टियम में कोई व्यक्ति सदस्य हो, तो उसके स्वामित्व की भूमि की गणना उक्त 25 प्रतिशत में की जायेगी, परन्तु लैण्ड पूलिंग एप्रीमेन्ट अथवा डेवलर एप्रीमेन्ट अथवा एप्रीमेन्ट-टू-सेल की भूमि इसमें शामिल नहीं होगी। विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र (जिसका प्राप्त अलग से जारी किया जाएगा) पर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ रु. 1000/- मात्र प्रति एकड़ परन्तु न्यूनतम रूपये 1.0 लाख 'नॉन-रिकॉर्डेबल 'प्रोसेसिंग फीस' जमा करनी होगी।

4.2 लाईसेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण कर अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति गठित की जायेगी:-

(I)	सचिव, विकास प्राधिकरण/अपर आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(II)	मुख्य अधियन्ता/वरिष्ठतम अधियन्ता, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(III)	वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठतम वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(IV)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(V)	सम्बन्धित जनपद के नियोजक विधायिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य
(VI)	मुख्य नगर नियोजक वा वरिष्ठतम नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य-संयोजक

यदि लाईसेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र समिति द्वारा अपूर्ण पाया जाता है, तो वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विकासकर्ता को 30 दिन का समय दिया जाएगा। उक्त समय सीमात्मकता सूचनाएं प्राप्त न होने की दशा में समिति की संस्तुति पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है।

4.3 लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र अर्ह पाये जाने पर विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को लाईसेन्स फीस जमा करने के लिए सूचित किया जायेगा, जो 30 दिन के अंदर जमा करनी होगी। लाईसेन्स फीस की दरें नगर के आकार के आधार पर निम्नवत होंगी:-

• 10 लाख एवं अधिक आवादी	रु. 1.50 लाख प्रति एकड़
• 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आवादी	रु. 1.00 लाख प्रति एकड़
• 5 लाख से कम आवादी	रु. 0.50 लाख प्रति एकड़

लाईसेन्स फीस की धनराशि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को लागू दरों के अनुसार देय होगी। लाईसेन्स फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा भारत सरकार के भूत्य सूतकांक के आधार पर किया जाएगा।

4.4 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को लाईसेन्स निर्गमन के पूर्व लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत उसके स्वामित्व की एवं टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि प्रथम

मुक्ति

विकास अनुबन्ध निष्पादित होने तक विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।

- 4.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को लाईसेन्स निर्धारित प्रपत्र पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा स्वीकृत एवं निर्माता किया जाएगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण/परिषद थोर्ड, शासन तथा आवास बच्चों को प्रेषित की जाएगी। प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा लाईसेन्स निर्मान की कार्यवाही विकासकर्ता द्वारा आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।
- 4.6 एक बार निर्माता लाईसेन्स सम्पूर्ण मरियोजना अवधि तक बैध होगा। 'परियोजना अवधि' का तात्पर्य लाईसेन्स निर्मान की तिथि से योजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण होने पर 'कम्पलीशन सर्टिफिकेट' जारी होने की तिथि से है।
- 4.7 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा। विकासकर्ता एक या अधिक विकास क्षेत्र में एक या अधिक लाईसेन्स हेतु आवेदन कर सकता है और एक या अधिक कन्सॉर्टियम का सदस्य भी बन सकता है, परन्तु प्रत्येक लाईसेन्स उसकी वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि प्रस्तर-3.4 एवं 3.5 में प्राविधिकानि है।
- 4.8 लाईसेन्स हेतु अनुमोदित कुल क्षेत्रफल में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा युक्तिसंगत कारणों से कमी की जा सकती है, परन्तु कम हुए क्षेत्रफल के सापेक्ष लाईसेन्स फीस वापस नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भूमि कर्य/चुटाव में व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत रखत की भौतिक सीमाओं में लाईसेन्स एरिया के कुल क्षेत्रफल में अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के अनुमोदन से इस प्रतिवर्धन के साथ अनुबन्ध होगा कि विकासकर्ता के स्थानिक की 25 प्रतिशत भूमि एवं उसके अन्तर्गत प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि लाईसेन्स क्षेत्र में ही रहनी चाहिए।
- 4.9 विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर लाईसेन्स निर्मान एवं टाउनशिप के विकास/निर्माण कार्यों के विनियमन हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रयोजनार्थ लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जायेगा।
- 4.10 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा टाउनशिप के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जो प्रस्तर संख्या-4.2 के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा निम्न शर्तों के अधीन केवल एक बार अनुबन्ध होगा—
 - (I) विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा मूल लाईसेन्स क्षेत्रफल की न्यूनतम 60 प्रतिशत भूमि कर्य/असेंबल कर ली गई हो तथा कम से कम एक विकास अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया हो,
 - (II) विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व अनुमोदित टाउनशिप की निरन्तरता में होना चाहिए। यदि मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र के मध्य कोई भौतिक वादा हो, तो मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र की भरपूर कोनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का दायित्व विकासकर्ता का होगा,
 - (III) विस्तारित क्षेत्रफल के सापेक्ष मानक के अनुसार विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम की वित्तीय अर्हता पूर्ण होनी चाहिए,

मुल

- (IV) विस्तारित क्षेत्र हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा निर्धारित दरों पर प्रोसेसिंग फीस एवं लाईसेन्स फीस देय होगी,
- (V) टाउनशिप के लिए भूल अनुमोदित लाईसेन्स क्षेत्रफल के अधिकतम 100 प्रतिशत तक विस्तार अनुमत्य होगा, परन्तु विस्तारित क्षेत्रफल सहित टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
- (VI) पूर्ण नीति के अधीन अनुमोदित टाउनशिप्स को इस नीति की शर्तों के अधीन विस्तार अनुमत्य होगा।

5. लैण्ड असेम्बली की प्रक्रिया

- 5.1 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा भूमि स्वयं कर्य/असेम्बल की जाएगी। टाउनशिप के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण अपरिहार्य होने की दशा में प्रचलित भू-अर्जन अधिनियम तथा उसके कम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
- 5.2 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा स्वयं कर्य की जाने वाली भूमि पर प्रचलित नियमों के अनुसार स्टाप्प शुल्क देय होगा।
- 5.3 गांव सभाओं तथा स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1678/एफ-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा.1, दिनांक 30 जून, 2004 तथा समसंघीक शासनादेश दिनांक 29.10.2004 के अधीन सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उत्तर शासनादेशों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- 5.4 टाउनशिप की सीमान्तर्गत यदि सीलिंग की सारप्लस भूमि आती है, तो उसे विकासकर्ता को निर्धारित शुल्क लेकर आवंटित किया जाएगा।
- 5.5 टाउनशिप/योजना स्थल के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों तथा राज्य सरकार की प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी।
- 5.6 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संकरण हेतु उ. प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-154(2) के अधीन प्रचलित नियमों के अनुसार छूट देय होगी, जिससे सम्बन्धित कार्यवाही अधिकतम 60 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी।
- 5.7 विकासकर्ता द्वारा यदि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-154(2) के अधीन राज्य सरकार का पूर्णानुमोदन प्राप्त किए विना 12.50 एकड़ से अधिक भूमि कर्य कर ली गई हो, तो उसके विनियमितीकरण हेतु अधिनियम की धारा-154(3) में निहित व्यवस्थाअनुसार भूमि की वर्तमान लागत (जिलाधिकारी का प्रचलित सर्किल रेट) के 25 प्रतिशत के वरावर की घनताशि का राजस्व विभाग द्वारा विहित रेति के अनुसार जिलाधिकारी को भुगतान कर उसकी रसीद की प्रभागित प्रति डी.पी.आर. के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में तत्सीमा तक धारा-154(2) के अधीन छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

hull

- 5.8 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन अर्जित/असेम्बल वी जाने वाली भूमि से प्रभावित व्यवितर्यों/परिवारों के लिए विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार की प्रबलित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 5.9 लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त, लाईसेन्स से आचारित भूमि को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं के लिए भूमि अर्जन के प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार विकास प्राधिकरण/आवास परिषद की योजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित भूमि के अन्तर्गत लाईसेन्स के लिए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त लाईसेन्स क्षेत्र में विकासकर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी आवेदक को विकास/निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिस विकासकर्ता को लाईसेन्स पहले जारी हो चुका है, के लाईसेन्स परिया में किसी अन्य विकासकर्ता की 'ओवरलैपिंग' अनुमत्य नहीं होगी।
- 6. विकासकर्ताओं को इस्तेम्बन्ध**
- 6.1 लाईसेन्स परिया के अन्तर्गत विकास/निर्माण सम्बन्धी पूर्ण अधिकार केवल विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को होंगे अर्थात् लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में लाईसेन्सधारक विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम के अतिरिक्त किसी अन्य भू-स्वामी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत माननित्र प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र में अनाधिकृत विकास/निर्माण को भी नियंत्रित किया जायेगा।
- 6.2 टाउनशिप हेतु लैण्ड असेम्बली के लिए विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा भू-स्वामियों/किसानों से लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट/डेवलपर एग्रीमेन्ट किया जा सकेगा।
- 6.3 टाउनशिप के नियोजन हेतु फौलिक्सवल लैण्डपूज नाम्स तथा डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के उच्च मानक निर्धारित किये गये हैं।
- 6.4 महायोजना अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में नगर के आकार के आधार पर निम्नानुसार छूट अनुमत्य होगी:-
- | | |
|--|----------------|
| (क) 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आयादी के नगर | 25 प्रतिशत छूट |
| (ख) 5 लाख से कम आयादी के नगर | 50 प्रतिशत छूट |
- 6.5 टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार अनुमत्य है, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के स्तर से देय होगी।
- 6.6 विकासकर्ता को एक ही विकास क्षेत्र में एक से अधिक लाईसेन्स प्राप्त करने तथा एक से अधिक कन्सॉर्टियम में सदस्य बनने की सुविधा अनुमत्य होगी।
- 6.7 लाईसेन्स निर्मान एवं ले-आउट प्लान अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित है तथा उक्त कार्यवाही के लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
- 7. भू-स्वामियों/किसानों के हितों का संरक्षण**
- 7.1 भू-स्वामियों/किसानों द्वारा अपनी भूमि विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को विकास करने की वाध्यता नहीं है, यद्किं लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट/डेवलपर एग्रीमेन्ट किया जा सकता है।
- 7.2 टाउनशिप के अन्दर रित्त ग्रामीण आवादियों में विकासकर्ता द्वारा लिंक रोड, पेरीफरल एवं आन्तरिक सड़कें, मार्ग-प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, सीवेज निस्तारण, जलापूर्ति तथा तालाबों/पोखरों/जलाशयों का जीर्णोद्धार/संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य स्वयं निःशुल्क

.....

कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक केंद्र के लिए मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।

- 7.3 प्रस्तावित टाउनशिप के बाहर स्थित ऐसी ग्रामीण आवादियां जिनकी भूमि को विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, के विकास हेतु विकासकर्ता द्वारा सुरक्षित शासनादेशों के अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी, जिससे प्राधिकरण आवास परिवर्तन द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे।
- 7.4 टाउनशिप के अन्तर्गत यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो प्रभावित भू-स्वामियों को प्रचलित भूमि अर्जन अधिनियम तथा उसके कम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन समुदाय प्रतिकर्ता और नियमानुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
8. भू-उपयोग नियोजन, तथा ऐंसिटी एवं एफ.ए.आर. के मानक
- 8.1 टाउनशिप हेतु प्रस्तावित स्थल का महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर आवासीय या अन्य किसी भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
- (I) प्रस्तावित टाउनशिप के अन्दर स्थित महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल/ग्रीन बेल्ट या नगर स्तर वीं अन्य जनसुविधा/उपयोग यथा-वस टर्मिनल, एस.टी.पी., फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सद्य-स्टेशन, बाटर वर्कस तथा समरूप सुविधा हेतु आरक्षित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन लाईसेन्स एरिया के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक अनुमन्य होगा।
 - (II) लाईसेन्स एरिया के अन्तर्गत नगर स्तरीय सुविधाओं/उपयोगों का प्रतिस्थापन (स्टैंपिंग) इस प्रतिवर्तन के अधीन सक्षम स्तर से अनुमन्य होगा कि कार्यविविलिटी, कार्यविविलिटी तथा तकनीकी दृष्टि से रखेंगे के प्रस्ताव युक्तिसंगत होने चाहिए।
 - (III) नगर स्तरीय सुविधाओं/उपयोगों के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोगों से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रयोजनार्थ आवासीय में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 8.2 टाउनशिप के अन्दर स्थित महायोजना मार्गों का निर्माण तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों/ग्रीनबेल्ट का विकास विकासकर्ता द्वारा आने व्यय पर स्वयं कराया जायेगा। उपरोक्त उपयोगों के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा कठ की गई भूमि के सापेक्ष नियमानुसार कम्पेन्सेटरी एफ.ए.आर. देय होगा।
- 8.3 भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य होने की दशा में 10 लाख एवं अधिक आवादी के नगरों में तत्समय प्रभावी नियमों/शासनादेशों के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, जबकि 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आवादी के नगरों हेतु परिवर्तन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट और 5 लाख से कम आवादी के नगरों हेतु 50 प्रतिशत की छूट होगी।
- 8.4 टाउनशिप हेतु चयनित ऐसे स्थल जहाँ लाईसेन्स निर्मान की तिथि को महायोजना लागू नहीं है, उनके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी देय नहीं होगा। लाईसेन्स जारी होने के बाद यदि प्रथम बार महायोजना लागू होती है, तो महायोजना में उन क्षेत्रों को 'आवासीय' वर्गित किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।
- 8.5 टाउनशिप के अन्तर्गत आवासीय, शिक्षित, व्यवसायिक, औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त), संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताएं तथा मनोरंजन, पार्क, खुले क्षेत्र, ग्रीड़ा-स्थल एवं जलाशय तथा यातायात एवं परिवहन के लिए मानकों के अनुसार भूमि

(मु.)

आरक्षित की जाएगी। टाउनशिप के नियोजन हेतु महायोजना मार्गों एवं महायोजना स्तरीय ग्रीन भू-उपयोग को छोड़कर अवशेष क्षेत्रफल के लिए भू-उपयोग के मानक निम्न तालिकानुसार होंगे:-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	आवासीय	अधिकतम 50
2.	निश्चित	अधिकतम 20
3.	व्यवसायिक	अधिकतम 10
4.	औद्योगिक (प्रदूषणरहित), संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताएं तथा मनोरंजन	न्यूनतम 10
5.	पार्क, खुले क्षेत्र, कोड़ा-स्थल एवं जलाशय	न्यूनतम 15
6.	यातायात, परिवहन एवं पार्किंग स्थल,	न्यूनतम 15

टिप्पणी:- प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत यदि महायोजना / जोनल प्लान स्तर की सङ्केत तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र/ ग्रीन बेल्ट शामिल हो, तो ऐसी भूमि का क्षेत्रफल युल लाईसेन्स एरिया से घटाने के उपरान्त नेट एरिया पर उपरोक्त तालिका में निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी, परन्तु लाईसेन्स फीस सम्पूर्ण लाईसेन्स एरिया पर देय होगी।

8.5 टाउनशिप के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्गीत भू-उपयोगों के विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु डेनिसिटी, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक निम्नानुसार होंगे:-

डेनिसिटी		
(रु) प्लाटेड डेवल्पमेन्ट	150	आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर
(ख) ग्रुप हाउसिंग	200	आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर
• 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सङ्केत पर	250	आवासीय इकाईया प्रति हेक्टेयर
• 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सङ्केत पर	330	आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर
• 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सङ्केत पर		
अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर.		
भू-उपयोग श्रेणी	भू-आच्छादन	एफ.ए.आर.
1. आवासीय		
(क) प्लाटेड डेवल्पमेन्ट	65 प्रतिशत	2.00
(ख) ग्रुप हाउसिंग	35 प्रतिशत	2.50
2. व्यवसायिक		
(क) 2500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	1.50
(ख) 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	2.50
3. निश्चित	40 प्रतिशत	3.0
4. कार्बोलय् एवं संस्थागत	35 प्रतिशत	2.50
5. औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त)	50 प्रतिशत	2.00
6. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	35 प्रतिशत	2.00
7. मनोरंजन	20 प्रतिशत	0.25

11

टिप्पणी:

- (1) प्लाटेड डेवलपमेन्ट को छोड़कर अन्य उपयोगों के लिए उपरोक्त तालिका में दिये गये एफ.ए.आर. के अतिरिक्त नियमानुसार 50 प्रतिशत क्षय—योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिशतमध्ये के अधीन अनुमत्य होगा कि क्षय—योग्य सहित कुल एफ.ए.आर. 4.0 से अधिक नहीं होगा। क्षय—योग्य एफ.ए.आर. हेतु शुल्क की गणना अधिसूचना संख्या—3589/8-3-2011-11विधि/08, दिनांक 04.8.2011 में निर्धारित (समय—समय पर यांत्रिक) फार्मूले के अनुसार की जायेगी, परन्तु उक्त अधिसूचना में निश्चित, औद्योगिक तथा मनोरंजन भू-उपयोग के लिए क्षय—योग्य फैक्टर (गुणांक) निर्धारित नहीं हैं, जो निम्नरूप होंगे—

भू-उपयोग श्रेणी	क्षय—योग्य फैक्टर (गुणांक)
• निश्चित	0.60
• औद्योगिक	0.40
• मनोरंजन	0.30

यदि उपरोक्त क्षय—योग्य फैक्टर (गुणांक) में भविष्य में कोई संशोधन होता है, तो संशोधित गुणांक लागू होगे।

- (2) निश्चित उपयोग के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।

- 8.6 भू-उपयोग मानकों के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्रों का प्राविधिक 'हैरार्किकल' आर्डर में किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत 'सेवर्टर/नेवरहूड' स्तर से लेकर टाउनशिप स्तर तक के पार्क एवं खुले क्षेत्रों एवं कीड़ा स्थलों हेतु भूमि आरक्षित की जाएगी।
- 8.7 इन्ट्रोटेड टाउनशिप का नियोजन एवं अभिकल्पन भूमि के इष्टतम उपयोग तथा सुरक्षित पर्यावरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
- 8.8 टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोगों में विभिन्न कियाओं का नियोजन सम्बन्धित नगर की महायोजना जॉनिंग रेग्युलेशन्स के अनुसार किया जाएगा तथा स्थल विकास/निर्माण की अन्य अपेक्षाएं एवं पार्किंग व्यवस्था के मानक सम्बन्धित क्षेत्र में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपयोगिता के अनुसार होंगी। जहां महायोजना लागू नहीं है, वहां शासन द्वारा जारी आदर्श जॉनिंग रेग्युलेशन्स एवं भवन निर्माण एवं विकास उपयोगिता का अनुपालन किया जाएगा।

9. डी.पी.आर. का अनुमोदन, विकास अनुबन्ध एवं परियोजनावाची

- 9.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त 03 वर्ष के अन्दर टाउनशिप की डी.पी.आर. प्राविकरण/आवास परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी होगी, जिस हेतु टाउनशिप की कुल भूमि का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम के स्वामित्व में अनिवार्य होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत भूमि में वह भूमि भी शामिल की जा सकती जो विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा किसानों के साथ 'लैण्ड पूलिंग एप्रीमेंट' अथवा 'डेवल्पर एप्रीमेंट' के रूप में पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से असेम्बल की जाएगी। डी.पी.आर. के अन्तर्गत लैण्डपूल घान, ले-आफ्ट घान, सर्कुलेशन घान एवं रोड कास सेवशान्स, पलिक ट्रान्सपोर्ट घान, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज यथा—जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीधरेज, विद्युत आपूर्ति, रेनवाटर हॉवरिंग, कूड़ा-निस्तारण व्यवस्था, लैण्डरकेप घान तथा अन्य जनसुविधाओं की विपरीटियाँ एवं घान, योजना का कियान्वयन चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध समय—सारिणी (प्रत्येक चरण के प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि एवं प्रत्येक चरण में भूमि क्षय/असेम्बली, विकास कार्य, सम्पत्ति निस्तारण के 'पर्ट-चार्ट' सहित), परियोजना लागत एवं वित्त पोषण व्यवस्था, सम्पत्ति प्रवन्धन, टाउनशिप के रख-रखाव तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु प्रस्ताव शामिल होंगे। डी.पी.आर. के अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि तथा अन्य के स्वामित्व की भूमि का विवरण सजारा मानविक्र एवं ले-आउट घान पर स्पष्टत: विहित किया जाएगा।

मुमुक्षु

9.2 डी.पी.आर. का परीक्षण इस नीति के प्रस्तर-4.2 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा और उसकी संस्तुति के आधार पर आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा डी.पी.आर. पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। समिति द्वारा उक्त कार्यवाही प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।

9.3 विकासकर्ता द्वारा लाईसेन्स जारी होने तिथि से 4 वर्ष के अन्दर प्रथम ले-आउट प्लान रखीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। विकासकर्ता को निमानुसार चरणदण्ड रूप से भी ले-आउट प्लान स्वीकृत कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी, परन्तु प्रतिवच्च यह है कि प्रत्येक चरण में विकासकर्ता के पास न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल का स्वामित्व (जिसके अन्तर्गत लैंड पूरिंग एंट्रीमेन्ट अथवा 'डेवलपर एंट्रीमेन्ट' की भूमि भी शामिल हो सकती है), होना चाहिए और विस्तारित क्षेत्र सहित प्रत्येक चरण का ले-आउट प्लान/डेवलपमेन्ट एंट्रीमेन्ट की भूमि जिरन्दरता में होनी चाहिए-

क्षेत्रफल	ले-आउट प्लान/विकास अनुबन्ध की अधिकतम संख्या
● 50 एकड़ तक	01
● 50 से अधिक 100 एकड़ तक	02
● 100 से अधिक 500 एकड़ तक	04

टिप्पणी: विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक चरण के ले-आउट प्लान में दुर्वल एवं अल्प आय वर्ग के भवनों तथा सामुदायिक सुविधाओं यथा—रौशनीक, चिकित्सा, पुलिस स्टेशन, वस रस्टोर, वस रेस्टॉरेंट, आदि हेतु ले-आउट प्लान में भूमि अनिवार्य रूप से ऐसे स्थलों पर असंकेत की जाएगी, जिसका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में हो।

9.4 शासनादेश संख्या: 4165/आठ-1-05-29 विविध/98, दिनांक 7 जुलाई, 2006 तथा शासनादेश संख्या: 6113/आठ-1-06-26 जी.डी.ए./04, दिनांक 18 अगस्त, 2006 के प्राविधानानुसार 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। परन्तु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के ले-आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा ले-आउट प्लान की स्वीकृति उपच्छाया/आवास आयुक्त के स्तर से दी जाएगी। विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि, जिसका पूर्ण स्वामित्व विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, पर विकासकर्ता को 'डेवलपमेन्ट राइट्स' नहीं होगे। ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुबन्ध (डेवलपमेन्ट एंट्रीमेन्ट) निष्पादित किया जाएगा, जिसका मानक प्रपत्र अलग से जारी किया जाएगा। प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा ले-आउट प्लान की स्वीकृति और विकास अनुबन्ध की कार्यवाही एक साथ सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यवाही के पूर्ण होते ही लाइसेन्स जारी करने के समय प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में विकासकर्ता द्वारा दब्दक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि अयुक्त कर दी जायेगी।

9.5 टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर उसके समस्त आन्तरिक एवं गाइव विकास कार्य, ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं एवं ग्रामीण आवादियों का विकास पूर्ण करने हेतु परियोजनावधि विस्तारित क्षेत्र सहित 08 वर्ष होगी। आवादियों का विकास पूर्ण करने हेतु परियोजनावधि 09 वर्ष, 101-200 एकड़ टाउनशिप का क्षेत्रफल 51-100 एकड़ होने पर परियोजनावधि 09 वर्ष, 101-200 एकड़ होने पर परियोजनावधि 10 वर्ष तथा 201-500 एकड़ होने पर परियोजनावधि 12 वर्ष होगी।

Wmt

डी.पी.आर. स्वीकृति के उपरान्त यदि विकासकर्ता द्वारा किसी न्यायालय के स्थगनादेश अथवा अन्य कारणों से टैप्पड असेवयली समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो परियोजनावधि में वित्तार के सम्बन्ध में 'कैस-टू-कैस' आधार पर प्राधिकरण वोर्ड/परिषद वोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. के अन्तर्गत प्रतिवद 'टाइम-शेड्यूल' में डिफाल्ट होने अथवा परियोजना अवधि में विस्तार अनुमत्य किए जाने के सम्बन्ध में भी प्राधिकरण वोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

9.7 विकास कार्यों का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुलप एवं उसमें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास-कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकास प्राधिकरण /आवास परिषद को उत्तर कार्यों के निरीक्षण का अधिकार होगा, जिस हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम द्वारा नियमानुसार निरीक्षण शुल्क देय होगा। प्राधिकरण वोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस हेतु यथोचित प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तथा यथावश्यकतानुसार स्वतन्त्र स्थान के माध्यम से भी उत्तर कार्य कराया जा सकता है।

10. भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास

10.1 टाउनशिप के अन्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्थाय क्रियान्वित कराए जाएंगे।

स्पष्टीकरण (I)-भूमि के आन्तरिक विकास में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:-

- (क) भूमि का समतलीकरण (जहां आवश्यक हो),
- (ख) सड़कें,
- (ग) ड्रेनेज,
- (घ) जलापूर्ति,
- (ङ) सीधारेज,
- (च) आन्तरिक विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट-लाइटिंग,
- (छ) सॉलिड वेस्ट कलेक्शन
- (ज) पार्कों, कीड़ा-स्थलों तथा तत्समान प्रयोजनों के लिए मानकों के अनुसार खुले स्थान का प्राविधिक एवं वृक्षारोपण,
- (झ) रेनवाटर हार्डवेरिंग,
- (ञ) शिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं के लिए मानकों के अनुसार भूमि का आरक्षण।

स्पष्टीकरण (II)-भूमि के वाह्य विकास में टाउनशिप के आन्तरिक विकास के प्रत्येक कार्यान्वयन के सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण एवं कार्यशील होने के लिए टाउनशिप की सीमा के अन्दर अथवा बाहर अपेक्षित कार्य शामिल होंगे। वाह्य विकास के कार्यान्वयन निम्नवत होंगे:-

- (क) महायोजना/प्रमुख मार्ग (30 मीटर एवं अधिक चौड़े)
- (ख) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था/मार्ग रैमिड ट्रॉन्सपोर्ट व्यवस्था
- (ग) इलेक्ट्रिक सत्र-स्टेशन
- (घ) जलापूर्ति का ओत तथा जल भण्डारण/चाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- (ङ) ट्रैक वाटर लाईन
- (च) ट्रैक सीधार लाईन

।।।

- (छ) ट्रंक ड्रेन/नाला
 (ज) सीयेज ट्रीटमेंट प्लान्ट
 (झ) एफलूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट
 (ञ) टाउनशिप लेविल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एवं ड्रांसफर व्यवस्था

10.2 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए चयनित स्थल तक एन.डी.आर./ओ.डी.आर. से चूनतम् 30 मीटर चौड़े पहुँच मार्ग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा पहुँच मार्ग की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा यदि कठिपय वाह्य विकास कार्यों जैसे—रोड कलेक्शन, जल-निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीयरेज, आदि हेतु 'कनेक्टिविटी' प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए सम्मिश्र शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देय होगा।

10.3 भाँतिक अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान निम्नदत्त सुनिश्चित किया जाएगा—

(I) रोड नेटवर्क एवं ड्रान्सपोर्टेशन

रोड नेटवर्क एक सुपरिभाषित हैराकी से युक्त होगा जिसमें आर्टीरियल से लेकर कलेक्टर रोड तथा सर्विस रोड तक का प्राविधान किया जाएगा और टाउनशिप के अन्दर एवं बाहर के रोड नेटवर्क से समुचित लिन्केज स्थापित की जाएगी। सड़कों का निर्माण भवन निर्माण एवं विकास उपग्रेड के प्राविधानों तथा उनके विशिष्टियां इण्डियन रोड कॉमेंस/वी.आई.एस. के मानकों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित सड़कों के कास-सेक्युरिट्स के अन्तर्गत कैरिज-डे, मीडिशन, मुटपाथ, बीनर्वज एवं पेड़ तथा घूटीलीटीज की खिंचत दर्शाई जाएगी। 'पल्क ड्रान्सपोर्ट' के लिए वस स्ट्रॉप/स्टेशन सहित पर्याप्त प्राविधान किया जाएगा और रोड नेटवर्क एवं गातायात सुविधाओं को 'लैण्डस्यूज डिस्ट्रीब्यूशन' से भलीभांति समर्पित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार साइकिल फ्रैंक एवं पैदल संचलन (सेडरिस्ट्रियन पाथवे) क्षेत्र भी नियोजित किए जाएंगे।

(II) जलापूर्ति

विकासकर्ता द्वारा आवासीय एवं गैर-आवासीय नामं हेतु 150–200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 24x7 के मानक के अनुसार जलापूर्ति प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें जल के उपचार, संश्हेदण एवं वितरण 'नेटवर्क' की व्यवस्था हो। इन सुविधाओं की क्षमता टाउनशिप की जनसंख्या, आर्थिक कियाओं में कार्यरत अभिक शक्ति तथा अनिश्चय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 'लैण्डस्केपिंग' एवं वागवानी, इत्यादि कार्यों के लिए 'बॉटर रिसाइकिंग' का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा।

(III) सीवरेज

विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत भूमिगत सीवरेज सिस्टम का प्राविधान पर्याप्त छाल के साथ किया जाएगा। ट्रंक सीवर से 'कनेक्टिविटी' उपलब्ध न होने की दशा में सीरेज ट्रीटमेंट हेतु एस.टी.पी. का प्राविधान करना अनिवार्य होगा। उपचारित जल के लगभग 80 प्रतिशत अंश की रिसाइकिंग, पर्यावरण नार्स के अनुसार वागवानी एवं फलशिंग कार्यों के लिए की जाएगी। एस.टी.पी. की लोकेशन वायु की प्रचलित दिशा के आधार पर तय की जाएगी और उसके चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

.....

(IV) स्टार्म वाटर ड्रेनेज

ड्रेनेज सिस्टम का अभिकल्पन मिटटी की विशेषताओं विशेषकर जल सोखने की क्षमता, पार्क एवं खुले क्षेत्रों तथा अन्य गैर-आवासीय उपयोगों के क्षेत्रफल को इस्टिंगत रखते हुए किया जाएगा। स्टार्म वाटर ड्रेन का अभिकल्पन 1.2 से.मी. से 2.5 से.मी. वृद्धि (रिफाल) प्रति घंटा की दर से किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा ड्रेनेज के अन्तिम विन्दु तक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(V) इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट

अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में टाउनशिप का पर्यावरण पर वाह्य प्रभाव शून्य होगा, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए समर्थित स्थानीय निकाय/अभिकरण से समन्वय कर समुचित उपाय किए जाएंगे। सेनेटरी लैण्डफिल साइट के लिए टाउनशिप से दूर उपयुक्त स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त कूड़े से ऊर्जा उत्पन्न करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

(VI) विद्युत-आपूर्ति एवं वितरण

विद्युत-वितरण प्रणाली आधुनिक कन्ट्रोल फैसिलिटीज के साथ पूर्णतः भूमिगत होगी तथा विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत विश्वस्त विद्युत वितरण की सुविधा 24x7 के मानक के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु विकासकर्ता द्वारा 24x7 के मानक के आधार पर सुविधा प्राप्त की जा सकती है। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के टाउनशिप हेतु आवश्यक लोड तथा अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अनुसार पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन से विद्युत कथ की जा सकती है अथवा कैटिव पॉवर जनरेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(VII) अन्य उपयोगिताएं

घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार पाइपयुक्त गैस लाइन का प्राविधान तथा सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन के लिए मानकों के अनुसार भूमि आरक्षित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्क एवं कीड़ा स्थलों के लिए आरक्षित भूमि, जलाशयों तथा 'सिटी फारेस्ट' का विकास शासकीय नीतियों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(VIII) यूटीलिटी डिवट का प्राविधान

भूमिगत अवस्थापना सुविधाओं यथा-जलापूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज, विद्युत-आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट तथा संचार सुविधाओं, आदि के लिए टाउनशिप के अन्तर्गत सड़कों के किनारे लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की विशिष्टियों के अनुसार भूमिगत 'यूटीलिटी डिवट' का प्राविधान किया जाएगा।

(IX) सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं

विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं यथा-शिक्षा, विकित्सा, मनोरंजन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान समर्थित क्षेत्र में लागू भवन उपक्रिये में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेन्डिंग जोन, फॉर प्रॉटीट वेन्डर्स, पार्किंग स्थल, बस रैल्टर्स, बस स्टेशन, बस पार्किंग बेज, एमोएस०डब्ल्यू० प्राइमरी ट्रांसफर स्टेशन का भी मानकों के अनुसार प्राविधान किया जायेगा।

11. परफार्मेन्स गारंटी

11.1 टाउनशिप का कियान्वयन अनुमोदित डी.पी.आर. एवं विकास अनुबंध की शर्तों के अनुरूप और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास कार्यों की युग्मता सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकास अनुबंध के निष्पादन के समय योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत विक्रय-योग्य भूमि आवासीय, मिशित एवं व्यवसायिक भू-उपयोग में समापुणितक रूप से विनिहत करते हुए (ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग क्षेत्र को छोड़कर) प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में वंधक रखी जाएगी। वंधक रखी जाने वाली भूमि का स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। वंधक रखी गई 20 प्रतिशत भूमि पर विकासकर्ता को विकास करने का अधिकार होगा, परन्तु उस पर निर्मित/सृजित किसी सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा उसमें 'थर्ड पार्टी इन्फ्रेस्ट' उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त उपयोग का उल्लंघन किया जाता है, तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप जैसे-जैसे विकास कार्य पूर्ण किए जाएंगे, उसी अनुपात में वंधक रखी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण—विकास कार्य पूर्ण होने का तात्पर्य टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित सङ्कें, जलापूर्ति, इंजेनीरिंग, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क, कीड़ा स्थल एवं ग्रीन बेल्ट तथा सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं के कार्यशील होने से है।

11.2 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा टाउनशिप की कुल विक्रय-योग्य भूमि का 20 प्रतिशत भाग अपने पक्ष में वंधक/गिरवी रखने हेतु विकासकर्ता कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकृत अनुबंध निष्पादित कराया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा यदि कोई विकास कार्य अधूरा छोड़ा जाता है, तो उसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा वंधक रखी गई भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि से पूर्ण कराया जाएगा।

12. सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण

12.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्टियम को अपनी योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैट्स/अन्य विकसित सम्पत्तियों के आवंटन, विक्रय अथवा अग्रिम धरातली प्राप्त करने का अधिकार डिटर्ल्ड ले-आउट प्लान की स्थीकृति पर्याप्त ही अनुमत्य होगा।

12.2 विकासकर्ता द्वारा आवंटियों को विकसित सम्पत्तियों का काला दिए जाने से पूर्व हस्तान्तरण विलेखों का निष्पादन कराया अनिवार्य होगा।

12.3 योजनान्तर्गत भूमि विकास के उपरांत विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर विकासकर्ता/आवंटियों द्वारा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

12.4 योजनान्तर्गत दुर्वल आय एवं अल्प आय वर्गों हेतु निर्मित भवनों तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु सृजित सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण प्रभावी शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

13. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग निर्माण के लिए अपेक्षाएं

विकासकर्ता द्वारा शासनादेश संस्था: 3188/आठ-1-13-80विधि/2010, दिनांक 05.12.2013 एवं समय-समय पर यथासंशोधित शासकीय नीति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से दुर्वल एवं अल्प आय वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रत्येक डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट के निष्पादन की तिथि को प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु वर्तमान नीति के प्राविधान निम्नवत् हैं—

13.1 लामार्थी की आय सीमा

ई.डब्ल्यू.एस. परिवार की वार्षिक आय रु. 1.0 लाख तक तथा एल.आई.जी. परिवार की वार्षिक आय रु. 1.0 लाख से अधिक परन्तु रु. 2.0 लाख तक होगी। भविष्य में

हड्डकों/भारत सरकार द्वारा उक्त मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत् लागू होगी अन्यथा वार्षिक आय सीमा को प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

13.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं आवासीय इकाईयों का 'विल्ट-अप एरिया'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए भूखण्डीय विकास में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल तथा युप हाउसिंग पद्धति में आवासीय इकाईयों के लिए 'विल्ट-अप एरिया' के लिए मानक निम्नवत् होंगे:-

क्र.सं.	आय वर्ग	भूखण्डीय विकास में भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	युप हाउसिंग में आवासीय इकाई का विल्ट-अप एरिया(वर्ग मी.)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	30-35	25-35
2.	एल.आई.जी.	40-50	35 से अधिक 48 तक

प्रतिवर्द्धन्य यह है कि भूखण्डीय विकास में भी भूखण्ड पर यथारिति ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तथा भवन निर्माण की लागत 'सीलिंग-कास्ट' में समिलित होगी। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण युप-हाउसिंग के रूप में भी किया जा सकेगा। युप हाउसिंग के रूप में निर्भित किए जा रहे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन चार से अधिक मंजिलों के साथ भी निर्भित किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण-'विल्ट-अप एरिया' से तात्पर्य आवासीय इकाई के निर्भित क्षेत्रफल से है, जिसमें दीवारें, कमरे, वाश्टरम, रसोईघर, बालकनी, आदि से आचारित क्षेत्रफल समिलित होगा, जो भवन स्थानी के एकान्तिक कब्जे ('एकसवतुरिष्व पोर्जेशन') में होगा। 'विल्ट-अप एरिया' के अन्तर्गत "साझा क्षेत्रों और सुविधाओं" (कम्बन एरियाज एण्ड फैसिलिटीज) का "अविभाजित हित" (अनडिगाइडेड इन्ड्रेस्ट्र) समिलित नहीं किया जाएगा।

13.3 योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का प्रतिशत

विकासकर्ता द्वारा (भूखण्डीय विकास एवं युप हाउसिंग) योजना में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) कमशः ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण टाउनशिप के अन्दर करना अनिवार्य होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार कठ-योग्य एफ.ए.आर. लिया जाता है, वहाँ उक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. के सापेक्ष भी समानुपातिक रूप से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण किया जाना होगा।

13.4 आवासीय इकाईयों की 'सीलिंग कास्ट'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का सीलिंग मूल्य कमशः रु. 3.25 लाख तथा रु. 7.00 लाख इस प्रतिवर्द्ध के अधीन होगा कि उक्त सीलिंग कास्ट ई.डब्ल्यू.एस. भवन के 25 वर्गमीटर 'विल्ट-अप एरिया' तथा एल.आई.जी. भवन के 35 वर्गमीटर 'विल्ट-अप एरिया' के लिए प्रभावी होगी। 'विल्ट-अप एरिया' उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक 'विल्ट-अप एरिया' के सापेक्ष "प्रो-राटा (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कास्ट आकलित की जाएगी। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक होगी। भविष्य में हड्डकों/भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होगी अन्यथा उसे प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

मुल्य

13.5 भवनों के निर्माण हेतु 'परफार्मेंस गारन्टी'

विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ विकास अनुशंश निपादन के समय 'ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण के सापेक्ष 'परफार्मेंस गारन्टी' देय होगी। वैक गारण्टी होने की दशा में उसकी धनराशि सम्बन्धित योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि मूल्य के बराबर होगी और भूमि मूल्य की गणना वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी। वैक गारण्टी की वैधता अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी। वैक गारण्टी की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा इसके नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वैक गारण्टी 'लेस' न होने पाए। वैक गारण्टी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि जो विक्रय-योग्य हो, विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में वन्धक/गिरेखी रखी जा सकती है। यह भूमि आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों के सापेक्ष वन्धक/गिरेखी रखी जाने वाली 20 प्रतिशत भूमि के अतिरिक्त होगी। वन्धक/गिरेखी रखी जाने वाली 10 प्रतिशत भूमि को ले-आउट पर चिन्हित करते हुए "मोर्टोर्ज डीड" नियमादित करनी होगी, जिसे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवसुलत किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण नहीं किया जाता है अथवा असूचा छोड़ा जाता है, तो प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा वैक गारण्टी को जबकर एवं भुना कर अथवा वन्धक रखी गई दस प्रतिशत भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। डिफाल्टर विकासकर्ता के विलम्ब नियमानुसार यथोचित दण्डालनक कार्यवाही भी की जायेगी।

इसके अतिरिक्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण योजना के अन्य आवासीय स्टाक की भौतिक प्रगति के अनुपात में किया जाना होगा। उदाहरणार्थ, किसी टाउनशिप में प्रस्तावित 100 भवनों में से यदि विकासकर्ता द्वारा प्रथम चरण में 40 भवन बनाने हैं, तो इन भवनों के साथ-साथ 4-4 ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन भी बनाने होंगे।

13.6 विकासकर्ताओं को 'इन्स्टीट्यू'

विकासकर्ता को ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ.ए.आर., जो वेसिक एफ.ए.आर. (+) क्य-योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, उसी योजनात्तर्गत अनुमन्य होगा एवं उसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से आवासीय इकाइयां भी अनुमन्य होंगी। विकासकर्ता को अनुमन्य अतिरिक्त निःशुल्क एफ.ए.आर. के आधार पर योजना के ले-आउट प्लान/भवन मानविक संरक्षण अनुमादित किए जायेंगे, परन्तु 'इन्स्टीट्यू' के रूप में अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होगा।

13.7 भवनों के आवंटन की प्रक्रिया

लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही समय से शासन द्वारा समय-समय पर घोषित/संशोधित नीति के अनुसार पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के नायम से की जायेगी। भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को भवनों का आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

13.8 भवनों के विक्रय/हस्तान्तरण पर रोक

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन 'लीज-होल्ड' के आधार पर किया जाएगा, जिसके विक्रय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा

lunji

करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक प्रतिवन्ध रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाभार्थी के पक्ष में फी-होल्ड किया जा सकेगा। ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. भवन 'हेरिटेल' होंगे। एक से अधिक ई-डब्लू-एस. अथवा एल.आई.जी. भवनों का 'अमलगमेशन' अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतियन्धित होगा।

13.9 नियोजन एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएँ

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. भवन एफ.ए.आर. तथा डेस्ट्री के प्राविधानों से युक्त रहेंगे। भवनों के नियोजन तथा अभिकल्पन एवं निर्माण की अन्य अपेक्षाएँ विकास प्रणिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपायों के अनुसार होंगी। इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत जहां ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण 'वलस्टर' के रूप में किया जाए, वहां मानकों के अनुसार सामुदायिक सुविधाएँ यथा—स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, कूड़ा—एकत्रीकरण स्थल, इत्यादि का अनिवार्य रूप से प्राविधान किया जाएगा।

14. विकासकर्ता की भूमिका एवं दायित्व

14.1 विकासकर्ता द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए निर्धारित लैण्डयूज़ प्लानिंग नार्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना की डी.पी.आर. इन्हीं नार्स के आधार पर तैयार कर प्राविकरण/आवास परिषद को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

14.2 विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप की सुरक्षा एवं 'स्टर्टेनेविलटी' हेतु टाउनशिप के नियोजन और महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं निर्माण कार्यों में डिजिस्टर मैनेजमेंट, निःशक्त जन-काल्याण, रेनवाटर हार्डिंग, अग्नि शमन व्यवस्था, आदि से सम्बन्धित शासकीय नीतियों तथा वी.आई.एस. एवं आई.एस. के सुरक्षात्मक कोड का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अग्निशमन सम्बन्धी मानकों के अनुसार वांछित 'इविवरपमेन्ट' विकासकर्ता द्वारा निजी व्यय पर अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

14.3 विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक स्टेंड्यूलरी एवं नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राप्तिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाएंगे।

14.4 विकासकर्ता द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत टाउनशिप के अन्तर्गत आवासीय भूमि पर स्वायिक द्वारा डेवलपमेंट अथवा ग्रुप हाउसिंग का विकास/निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग को जोड़कर अन्य सम्पत्तियों को विकासित भूखण्डों अथवा निर्मित भवनों के रूप में आवंटन/विक्रय पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होगा।

14.5 विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तर-13 के अनुसार ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. के लिए भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु टाउनशिप के अन्तर्गत ई-डब्लू-एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का जितना दायित्व बनता है, का भी मानचित्र विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक चरण के ले—आउट प्लान के साथ स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

14.6 टाउनशिप के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन तथा विद्युत संबंधी स्टेशन हेतु प्रभागी शासनादेशों के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूमि सम्बन्धित संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाओं यथा—पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, स्कूल तथा अस्पताल, आदि के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आवंटन एवं मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।

मुझे

14.7 प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण आवादियों अथवा ऐसी ग्रामीण आवादियां जो टाउनशिप के अन्दर नहीं आ रही हैं परन्तु विकासकर्ता द्वारा उस राजस्व ग्राम की भूमि को अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, के विकास हेतु शासनादेश संख्या 2157/आठ-1-11-184विधि/2010, दिनांक 22.7.2011 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

(क) टाउनशिप के अन्दर स्थित ग्रामीण आवादियों के विकास पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना अन्तर्गत 'कास सब्लिडाइजेशन' के माध्यम से की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा "समस्त अवस्थाएँ सुविधाओं यथा-लिंक रोड, परीफेरल एवं आन्तरिक सड़क, मार्ग-प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, सीधेज निस्ताराम, जलापूर्ति तथा तालाबों/पोखरों/जलाशयों का जीर्णोद्धार/संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य खर्च कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक अवस्थाएँ सुविधाएँ यथा-प्राथमिक पाठ्यालाल, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक केन्द्र के लिए मानकों के अनुसार भी उपलब्ध करायी जाएंगी और डिस्पेन्सरी के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाओं के भवनों का निर्माण विकासकर्ता द्वारा स्वर्थं कराया जाएगा, जबकि डिस्पेन्सरी हेतु विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर भवन का निर्माण विकित्ता विभाग द्वारा कराया जाएगा।

(ख) ऐसी ग्रामीण आवादियां जो टाउनशिप के अन्दर नहीं आ रही हैं, परन्तु विकासकर्ता द्वारा उस राजस्व ग्राम की भूमि को अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में ग्रामीण आवादी के विकास के लिए विकासकर्ता द्वारा कथ/अधिग्रहीत भूमि के 'ग्रास-एरिया' पर रूपया एक लाख रुपये एकड़ की दर से धनराशि प्राधिकरण/आवास परिषद में जमा करनी होती है। सम्बन्धित क्षेत्र में एक से अधिक विकासकर्ता की टाउनशिप प्रत्तिवार होने की दशा में भास्तर विकासकर्ताओं द्वारा समानुपातिक रूप से विकास कार्यों/धनराशि का बहन करना होगा। विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा एक अलग ढैंक खाते में रखा जायेगा, जिसके सम्बन्ध में उचित माध्यम (यथा-समाचार पत्रों) द्वारा प्रक्रियक इनामेंशन भी जारी की जायेगी तथा जमा धनराशि से विकास कार्य विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा ही कराए जाएं।

14.8 टाउनशिप के विकास के फलस्वरूप सम्बन्धित नगर की विद्यमान अवस्थाएँ सुविधाओं पर बढ़ने वाले दबाव के दृष्टिगत उनके सम्बद्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विकासकर्ता द्वारा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को डी.पी.आर. की स्वीकृति के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नगरीय विकास शुल्क देय होगा।

14.9 प्रस्तावित टाउनशिप के भू-उपयोग नियोजन, विकास/निर्माण कार्यों और आपारेशन एवं मेंटोनेन्स में जल और ऊर्जा के संरक्षण, सोलाल इनर्जी के उपयोग, प्रदूषण नियन्त्रण तथा 'ग्रीन कवर' के रख-रखाव हेतु सम्बन्धित प्रविधियाँ किए जाएंगे। टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्थीकृति विकास/निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14.10 विकसित टाउनशिप की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तांतरण होने तक उनके रख-रखाव हेतु विकासकर्ता एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रविधिनित होगा की रख-रखाव की धनराशि कितनी होगी और उसके स्तोत्र क्या होगे। रख-रखाव हेतु वसूल की जाने वाली धनराशि एक 'एस्को एकाउन्ट' में जमा की जाएगी। टाउनशिप की सेवाओं यथा-सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीधेज, विद्युत-आपूर्ति, घृड़ा-निस्ताराम, संचार व्यवस्था, रेनवाटर हॉवरिंग, पार्क एवं खुले स्थल, आदि के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य

hewll

विकासकर्ता द्वारा कराए जाएंगे तथा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिवद द्वारा किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु वसूल की गई धनराशि अनुमत्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। विकासकर्ता टाउनशिप का स्थानीय निकाय को रख-रखाव के लिए हस्तान्तरण होने तक उप्र. नगर महापालिका अधिनियम-1959 की धारा-221 के अधीन गृह कर एवं जल कर में छूट अनुमत्य होगी। सचिवित स्थानीय निकाय टाउनशिप के हस्तान्तरण के पूर्व नापदडों के अनुरूप समाचर सेवाओं को ठीक कराएंगे तथा हस्तान्तरण के समय 'एस्को एकाउन्ट' में जमा धनराशि सहित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स/ग्रुप हाउसिंग भवनों के रख-रखाव हेतु जब तक अपार्टमेन्ट ऑफर्स एसोसिएशन/रेजिडेंट शैलफ़ेयर एसोसिएशन नहीं बनता है, तब तक प्रचलित अपार्टमेन्ट अधिनियम के प्राधिकारों के अनुसार ऐसे भवनों में कॉमन सुविधाओं का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए अलग 'एस्को एकाउन्ट' की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स

लाइसेन्स जारी होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा योजना के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित कार्य निम्न माइलस्टोन्स के अनुसार पूर्ण किये जायेंगे:-

क्र. सं.	कार्य का चरण	टाउनशिप के क्षेत्रफल के आधार पर माइलस्टोन्स			
		50 एकड़ तक	51-100 एकड़ तक	101-200 एकड़ तक	201-500 एकड़ तक
(1)	लाइसेन्स निर्गमन	D	D	D	D
(2)	डी.पी.आर. प्रस्तुत करना	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष
(3)	प्रथम विकास अनुबन्ध निष्पादन	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष
(4)	द्वितीय विकास अनुबन्ध निष्पादन	-	D+5 वर्ष	D+5 वर्ष	D+5 वर्ष
(5)	तृतीय विकास अनुबन्ध निष्पादन	--	--	D+6 वर्ष	D+6 वर्ष
(6)	चतुर्थ विकास अनुबन्ध निष्पादन	--	--	--	D+7 वर्ष
(7)	अवस्थापना विकास ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं तथा ग्रामीण आवादियों के विकास कार्य पूर्ण करना	D+8 वर्ष	D+9 वर्ष	D+10 वर्ष	D+12 वर्ष

टिप्पणी: उपरोक्त माइलस्टोन्स के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण/आवास परिवद में डी.पी.आर. अथवा ले-आउट प्लान जमा हो जाने के उपरान्त रखीकृति एवं विकास अनुबन्ध निष्पादन में लगने वाला समय शामिल नहीं होगा, परन्तु डी.पी.आर./ले-आउट प्लान/विकास अनुबन्ध की खीकाति के सम्बन्ध में यदि विकासकर्ता के आपत्तियां सुनित की जाती हैं, तो उनके निराकरण में लगने वाला समय माइलस्टोन्स में निर्धारित समय-सीमा में शामिल होगा।

16. डिफाल्ट की स्थिति में कार्यवाही

विकासकर्ता द्वारा नीति के विभिन्न प्राविधानों अथवा टाइम-लाईन का अनुपालन न करने की दशा में उसके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

W.M.

- 16.1 लाइसेन्स जारी होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत करने अथवा प्रथम विकास अनुपच्छ के निष्पादन के लिए यदि प्रस्तर-15 में निर्धारित माइलस्टोन्स का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो एक माह का 'शो-कॉर्ज नोटिस' देकर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा और विकासकर्ता के स्वामित्व की विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि जल्द कर दी जायेगी।
- 16.2 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों तथा टाइम शेड्यूल के अनुसार विकासकर्ता द्वारा यदि टाउनशिप के विकास कार्यों का कियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध विकास अनुपच्छ की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 16.3 विकासकर्ता द्वारा यदि नगरीय विकास शुल्क अथवा अन्य देय शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी वसूली अधिनियम में निहित व्यवस्थानुसार भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।
- 16.4 विकासकर्ता द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त एवं प्रथम विकास अनुपच्छ के निष्पादन के पूर्व यदि इस नीति से निर्माण (एविज़ाट) करना चाहता है, तो उसके स्वामित्व की प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि में से 02 प्रतिशत भूमि प्रति वर्ष की दर से जल्द कर एविज़ाट करने की अनुमति दी जाएगी।
17. राज्य सरकार एवं शासकीय अभिकरणों की भूमिका एवं दायित्व
- 17.1 राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों की भूमिका 'सुविधा प्रदायक' एवं 'रेगुलेटर' के रूप में उस सीमा तक होती जिससे कि इस नीति के अधीन जनकल्याण से सम्बन्धित उददेश्यों को पूर्ण सुनिश्चित हो सके। इस नीति के अधीन विकासित की जाने वाली टाउनशिप्स भविष्य में राज्य सरकार के ऊपर दायित्व न यन जाएं, इस हेतु अवस्थापना का नियोजन एवं अभिकल्पन इस प्रकार सुनिश्चित कराया जाएगा कि शैकिक एवं चिकित्सा सुविधाओं व जनकल्याण के अन्य आर्थिक पहलुओं के दृष्टिगत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स समुक्त रूप से स्वाचालनी हों। राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों का यह सुनिश्चित करने की दायित्व होगा कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप आर्थिक दृष्टि से दूर्घल एवं अल्प आय वर्ग की हाउसिंग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के 'सर्विस प्रोवाइडर्स' के लिए आवश्यक प्राविधिकारों सहित नगरीय निर्धारों के लिए 'इनफूसिंग' हो।
- 17.2 राज्य सरकार एवं उसके अभिकरणों द्वारा विभिन्न 'रेगुलेशं' नियन्त्रणों शाश्वत-भूमि जुटाय सम्बन्धी अनापत्तियां, विकास एवं निर्माण सम्बन्धी अनुज्ञाएं और पर्यावरणीय स्वीकृतियां त्प्रतित गति से निर्गत की जाएंगी।
- 17.3 भूमि के क्षय/असंचयनी में राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- 17.4 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का निर्माण विकासकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित करने का दायित्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद का होगा। जिस विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों अथवा भवनों का विकास सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, ऐसे डिफाल्टर विकासकर्ताओं के विरुद्ध विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा कंडी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- 17.5 प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए चयनित स्थल के अन्तर्गत एवं उसके चारों ओर के क्षेत्र में किसी प्रकार के अव्यवस्थित एवं अनधिकृत निर्माण न होने पाएं।

मास्टर

- 17.6 किसी टाउनशिप के लिए ठोस कड़े के निस्तारण, ड्रेनेज निस्तारण तथा सीबेज निस्तारण की 'ऑन-साइट' व्यवस्था व्यवहारिक न होने की स्थिति में प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/अभिकरण से समन्वय कर 'ऑफ-साइट' व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 17.7 डी.पी.आर. के अन्तर्गत दिए गए 'टाइम-शेड्यूल' के अनुसार परियोजना कियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुप्रयोग हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा उचित व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति के अधीन टाउनशिप के लिए निर्धारित मानकों एवं अपेक्षाओं का 'अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है।
- 17.8 निजी विकासकर्ताओं के शेयर होलिंग अथवा सम्पत्ति आवंटन से सम्बन्धित विवादों/मुकदमों में राज्य सरकार अथवा इसके अभिकरण पक्षकार नहीं होगे। ऐसे वादों का निस्तारण 'सिविल कोर्ट ऑफ लॉ' में ही सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 18. कठिनाई निवारण व्यवस्था**
- इस नीति के प्रभावी कियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निशाकरण हेतु स्थानीय स्तर पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जदकि नीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शन एवं अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
- 19. नीति की प्रयोज्यता**
- 19.1 यह नीति निजी पूँजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित विकास हेतु इंटीग्रेटेड टाउनशिप/योजनाओं के विकास के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में (ओद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं एक्सप्रेसरेज औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को छोड़कर) लागू होगी।
- 19.2 जिन विकासकर्ताओं द्वारा पूर्व इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया था, परन्तु लाइसेन्स नहीं मिला है अथवा जिनके पंजीकरण 'लैप्स' हो चुके हैं अथवा नवीनीकृत नहीं हुए हैं अथवा लाईसेन्स जारी हुआ था परन्तु 'लैप्स' हो चुका है, ऐसे पंजीकरण/लाईसेन्स त्रैत निरक्षत समझे जायेंगे और ऐसे सभी विकासकर्ताओं को इस नीति के अधीन नए सिरे से लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा।
- 19.3 जिन विकासकर्ताओं के लाइसेन्स वैधता अवधि में हैं, परन्तु डी.पी.आर./ले-आउट प्लान अनुमोदन नहीं कराया है, ऐसे विकासकर्ताओं को अपना लाईसेन्स नई नीति के प्राविधानों के अनुसार अद्यतन/वैटीडेट कराना होगा तथा ऐसे प्रकरणों में डी.पी.आर./ले-आउट प्लान के अनुमोदन में नई नीति के प्राविधान लागू होंगे।
- 19.4 पूर्व इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन अनुमोदित डी.पी.आर./ले-आउट प्लान का क्रियान्वयन पूर्व नीति के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। यदि किसी विकासकर्ता द्वारा नई नीति के प्राविधानों के अनुरूप अपनी योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित किया जाता है, तो नई नीति के प्राविधानों के अधीन निर्धारित लाइसेन्स शुल्क तथा नगरीय विकास प्रबाल की दरों के आधार पर गणना कर पूर्व में जमा की गयी धनसंशोधन को समायोजित करते हुए शेष धनराशि जमा करानी होगी।

hewl